निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 130 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 13/02/2019 से 20/02/2019 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक: 17/02/2018 से 21/02/2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पुलों एवं मार्गो का निर्माण एवं रखरखाव ।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	608.19	608.19	3481.18				-	-
2017-18	-	-	766.606	766.60	3267.53				-	-
2018-19	-	-	769.81	721.58	1954.46			48.23	-	172.42

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(IV) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सुखी ठांडा-डाड़ा-दिनार मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि के आधार पर अधिकतम के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक ……. से …… का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 10/2018 तक की गई।

5. फार्म-51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ (-) 40.00/-

भाग द्वितीय ₹ 3477.00/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 10,03,019.00/-
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन --शून्य--
(घ) निक्षेप ₹ 11,73,10,317.00/-
(ङ) भण्डार ₹ (-) 11,40,303.00/-

भाग – 2 अ

प्रस्तर –1 वित्तीय नियमो के विपरीत lapse sanction के सापेक्ष कार्य करना, भूमि के बिना क्लियर टाइटल के एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ करना, अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत पार्ट II के कार्यो के लिए प्राप्त नयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अनुबंध गठित ना करके पार्ट I के कार्यो हेतु प्राप्त पुरानी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष गठित अनुबंध (₹4.85 करोड़) के अंतर्गत ही कार्य पर कुल व्यय ₹ 12.97 करोड़ के समस्त कार्य कराया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 की कंडिका 30 एवं 29 के प्रावधानों के अनुसार -किसी नये कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण आदि के प्रारम्भ करने के **पूर्व** स्थापित नियमों के अधीन निविदाओं (सिविल और विद्युत कार्य करने के लिए प्राधिकृत) को आमंत्रित कर कार्यवाही किया जा**ना चाहिए ।**

Clause 380 of Financial Hand Book volume VI provides that the approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded. Further,clause 378 provides that- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

Clause 4.4 of Forest Act 1980 provides that if a project invites forest as well as non-forest land, work should not be started on non-forest land till approval of the Central Government for release of forest land under the Act has been given.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी टनकपुर तहसील में सुखीढांग–डांडा मीनार मोटर मार्ग (51कि.मी.) हेतु रू0 721.80 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। (02/2004) जिसे पुनरीक्षित करते हुए शासन द्वारा कि.मी. 51 के स्थान पर 30 कि.मी. हेतु रू0 807.50 लाख की अतिरिक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (06/2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति कई टुकड़ों में यथा 1.5 कि.मी. (पार्ट– I), रू0 26.84 लाख (08/2010), 1.5 कि.मी. (पार्ट– I) रू0 20.53 लाख (07/2013), 6.5 कि.मी. (पार्ट– I) रू0 171.50 लाख (03/2015), 30 कि.मी. (पार्ट– I), रू0 502.93 लाख (01/2016), 30 कि.मी. (पार्ट– II), रू0 807.50 लाख, (06/2016)। इस प्रकार कुल रू0 1529.30 लाख की मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ द्वारा प्रदान की गई थी।

खंड के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति के नियमों के विपरीत पार्ट– II के कार्यों हेतु जो नयी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त (6/2016) हुई थी उसके सापेक्ष **खंड द्वारा** तकनीकी स्वीकृति तो प्राप्त की गई थी लेकिन निविदा आमंत्रित नहीं की गई और न ही कोई अनुबन्ध गठित किया गया बल्कि पार्ट– I के कार्यों हेतु पूर्व में गठित अनुबन्ध **जो की ₹** 4.85 करोड़ **का** गठित (8–3–2016) किया गया

था के सापेक्ष ही पार्ट–।। के समस्त कार्य Extra Item एवं Variation के माध्यम से कराये गये। **इस प्रकार केवल ₹** 4.85 करोड़ **के गठित अनुबंध के सापेक्ष ₹** 12.97 करोड़ **के कार्य खंड द्वारा करवाये गए ।**

आगे जॉच में पाया गया कि पार्ट–। के कार्यों हेतु **शासन से** पूर्व में प्राप्त वित्तीय **स्वीकृति** (02/2004) **जो की उक्त वितीय नियमानुसार स्वीकृति के पांच वर्ष तक यदि कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वतः समाप्त** (lapse) **हो जाती है/चुकी थी, के सापेक्ष प्रथम** तकनीकी स्वीकृति, **वित्तीय स्वीकृति के लगभग 6 वर्ष के बाद,** अगस्त 2010 में प्राप्त की गई थी **के सापेक्ष कार्य प्रारंभ किया गया था जो कि उक्त वित्तीय नियमानुसार नहीं था विभाग को इस कार्य** (पार्ट–। के कार्यों हेतु) **की पुनः वित्तीय स्वीकृति लेनी चाहिए थी।** (खंड द्वारा तकनीकी स्वीकृती **कई टुकडो में ली गयी थी) ।**

जॉच में यह भी पाया गया कि कार्य के अन्तिम देयक के अनुसार कार्य पर कुल व्यय ₹ 12.97 करोड़ था जबकि कार्य पर **अद्यतन फ़ार्म 64 के अनुसार** कुल व्यय ₹ 14.60 करोड़ दर्शाया जा रहा था। **अंतर ₹ 1.69 करोड़** का व्यय किन मदों पर किया गया था/ किस कार्य पर किया गया यह स्पष्ट नहीं था **जबकि की वर्तमान में कार्य पूर्ण था ।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि **कार्य की स्वीकृति वर्ष 2004 में प्राप्त हुयी थी माह 05/2004,06/2004,07/2004 में उपरोक्त मोटर मार्ग का सर्वेक्षण कार्य करा कर कार्य प्रारंभ किया गया। पुष्टि हेतु विभिन्न कार्यदेशो की प्रति संलग्न है (कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया) जिससे की पुनः वित्तीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी । खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि खंड द्वारा प्रथम तकनीकी स्वीकृति** 08/2010 **में प्राप्त की गयी थी। बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य प्रारंभ किया जाना अपने आप में वित्तीय नियमो का उल्लंघन है साथ ही खंड द्वारा कौन से /किस प्रकार के कार्य प्रारंभ में किये गए के सम्बन्ध में तथा अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया ।**

वन भूमि की स्वीकृति से पूर्व ही भूमि के बिना क्लियर टाइटल के एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ करने के कारण के सम्बन्ध में खंड द्वारा बताया गया की- "वन भूमि की स्वीकृति से पूर्व ही एवं उक्त मोटर मार्ग के प्रारंभिक भाग 0.00 से 1.500 तक नाप भूमि होने क्षेत्रवासियों धुरा ग्राम के निवासियों जिनकी आबादी 363 है तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर उक्त मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सचिव लो.नि.वि. के टनकपुर भ्रमण पर"- खंड का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि वन विभाग के उक्त नियम के अनुसार जब तक वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त ना हो तब तक खंड को प्रश्नगत मार्ग में शामिल अपनी भूमि पर भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए था। आगे, अन्तिम देयक के अनुसार कार्य पर कुल व्यय ₹ 12.97 करोड़ **के**

सापेक्ष ₹ 14.60 करोड़ दर्शाया जाने अर्थात अंतर ₹1.63 करोड़ का व्यय किन मदों पर किया गया था । किस कार्य पर किया गया के बारे में खंड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

अतः भूमि के बिना क्लियर टाइटल के एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ करना, अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत पुरानी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष ₹4.85 करोड़ के गठित अनुबंध के अंतर्गत ही (नयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष बिना निविदाये आमंत्रित करे बिना अनुबंध किये ही) कार्य पर कुल व्यय ₹12.97 करोड़ के समस्त कार्य कराया जाना सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –दो 'ब'

प्रस्तर-1 रु0 56.93 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग को नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के माह 07/2017 से माह 09/2018 तक के जी0एस0टी0 भुगतान अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों के क्रम में ठेकेदारों को रु0 56,92,889.20(सूची संलग्न) जी0एस0टी0 भुगतान किया गया।उक्त जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, चम्पावत को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं किया गया, जिससे भुगतान किए गये जी0एस0टी0 सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया गया अथवा नहीं की सुनिश्चिता तय नहीं की जा सकी।

विभागीय उत्तर में बताया गया कि जी0एस0टी0 अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा-परीक्षा में अंकित समायावधि (07/2017 और 09/2018) के दौरान जी0एस0टी0 भुगतान की सूचना संबन्धित विभाग को दी जानी चाहिए जिससे जी0एस0टी0 राजस्व की सुरक्षा की जा सके।

अतः रु0 56.93 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, चम्पावत को नहीं किया जाना का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
25/2004-05	0	2	0
35/2005-06	0	1, 2, 3	0
19/2007-08	01	0	0
41/2009-10	1, 2, 3	1	0
24/2012-13	1, 3	1	0
76/2014-15	1, 2	1, 2, 4	0
66/2016-17	1, 2	1	0
92/2017-18	0	1, 2, 3	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

शेष के उत्तर में खण्ड ने बताया कि उच्चाधिकारियों एवं महालेखाकार कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है कुछ अनिस्तारित प्रस्तरों के संबंध में बताया कि उक्त प्रस्तर निरस्त है परंतु समर्जित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, अत: सभी विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों को यथावत रखा जा सकता है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** MB- 308, 307, 208, 263, 334, 335, 320, 276, 285 माप पुस्तिकाएँ।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई. डी. डी. भट्ट	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक ।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

1.	श्री अरविन्द कुमार	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II